



2026:AHC: 165894

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 6174/2025

मदन कुमार सिंह

.....अपीलार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता

: जय राज सिंह तोमर, पी.के. सिंह

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: आलोक कुमार पांडेय, शासकीय अधिवक्ता, सोनिका
चक्रवर्ती, सुशील कुमार पांडेय

न्यायालय संख्या - 93

माननीय न्यायमूर्ति संतोष राय

1. अपीलार्थी/आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।
2. वर्तमान आपराधिक अपील अपीलार्थी द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज (अवर खंड)/एफ.टी.सी., आजमगढ़ द्वारा परिवाद संख्या 1475 वर्ष 2018 (श्यामदेव बनाम मदन कुमार), थाना महराजगंज, जिला आजमगढ़ में धारा 325, 323, 504, 506 भा.द.सं. और एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(1)(10) के अंतर्गत पारित आक्षेपित तलब करने के आदेश दिनांक 18.10.2018 को अपास्त करने की प्रार्थना के साथ दाखिल की गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थी/आवेदक को तलब किया गया है।
3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि अपीलार्थी को गुप्त उद्देश्यों के कारण झूठा फंसाया गया है और उसके द्वारा अभिकथित रूप में कोई अपराध नहीं किया गया है। यह तर्क दिया गया है कि घायल को क्रिकेट खेलने के दौरान दुर्घटनावश चोटें आईं और अपीलार्थी

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



द्वारा किए गए किसी हमले के कारण नहीं। यह आगे तर्क दिया गया है कि घटना सार्वजनिक दृष्टि (पब्लिक व्यू) में नहीं हुई थी और, इसलिए, एससी/एसटी अधिनियम के प्रावधान आकर्षित नहीं होते हैं। विद्वान अधिवक्ता ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में तात्त्विक विरोधाभासों और चिकित्सीय दस्तावेजों में, विशेष रूप से भर्ती की तिथियों और एक्स-रे रिपोर्ट के संबंध में विसंगतियों की ओर भी इशारा किया, जिससे अभियोजन का मामला संदिग्ध हो जाता है। अंत में, यह प्रस्तुत किया गया है कि एससी/एसटी अधिनियम में 2016 के संशोधन के पश्चात, न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास अपराध का संज्ञान लेने की कोई अधिकारिता नहीं थी, क्योंकि मामला विशेष न्यायालय द्वारा अनन्य रूप से विचारणीय था, और इसलिए तलब करने का आदेश अवैध है। सर्वोच्च न्यायालय के हुतु अंसारी उर्फ फुतू अंसार और अन्य बनाम झारखंड राज्य (2025) 0 एस.सी.सी. 601 के वाद में दिए गए निर्णय पर भी भरोसा किया गया है।

4. विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता के साथ-साथ विद्वान ए.जी.ए. ने अपील का विरोध किया है और प्रस्तुत करते हैं कि परिवाद, धारा 200 और 202 द.प्र.सं. के अंतर्गत दर्ज किए गए बयान, और चिकित्सीय साक्ष्य स्पष्ट रूप से अपीलार्थी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामले का खुलासा करते हैं। यह तर्क दिया गया है कि अपीलार्थी ने क्रिकेट खेलते समय हुए विवाद के दौरान घायल पर क्रिकेट बैट से हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप बाएं ह्यूमरस के फ्रैक्चर सहित एक गंभीर चोट आई, और सार्वजनिक दृष्टि में जाति-संबंधित शब्दों का उपयोग करके जानबूझकर घायल और सूचनादाता के साथ गाली-गलौज भी की। इसलिए, तलब करने का आदेश वैध है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. परिवाद विशेष रूप से आरोप लगाता है कि 5.8.2016 को शाम लगभग 6.00 बजे क्रिकेट खेलते समय हुए विवाद के दौरान, अभियुक्त-अपीलार्थी ने घायल पर क्रिकेट बैट से हमला किया, जिससे बाएं ह्यूमरस के फ्रैक्चर सहित गंभीर चोट आई, और अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति में जाति-संबंधित शब्दों का उपयोग करके जानबूझकर घायल और सूचनादाता के साथ गाली-गलौज भी की। परिवादी और गवाहों के धारा 200 और 202 द.प्र.सं. के अंतर्गत दर्ज किए गए बयान लगातार चोट पहुंचाने और जातिवादी अपशब्द कहने में अभियुक्त को एक विशिष्ट और अलग भूमिका सौंपते हैं। चिकित्सीय साक्ष्य एक गंभीर चोट और फ्रैक्चर दिखाकर अभियोजन के संस्करण का समर्थन करते हैं। चिकित्सीय दस्तावेजों में उल्लिखित तिथियों और गवाहों के बयानों में

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



अभिकथित विरोधाभासों के संबंध में अपीलार्थी द्वारा इंगित की गई विसंगतियां साक्ष्य के मूल्यांकन के विषय हैं, जिनकी तलब करने के स्तर पर विस्तार से जांच नहीं की जा सकती है। इस प्रारंभिक प्रक्रम पर, न्यायालय को केवल यह निर्धारित करने की आवश्यकता होती है कि क्या कोई प्रथम दृष्टया मामला मौजूद है और उससे साक्ष्य की सूक्ष्म जांच करने या मिनी-विचारण आयोजित करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। यह तर्क कि घटना सार्वजनिक दृष्टि में नहीं हुई थी, इस प्रक्रम पर भी स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि परिवाद और गवाहों के बयान यह इंगित करते हैं कि घटना उस समय हुई जब क्रिकेट मैच के दौरान कई व्यक्ति उपस्थित थे और घटना के पश्चात जनता के सदस्यों ने बीच-बचाव किया था। हुतु अंसारी उर्फ फुतू अंसार और अन्य बनाम झारखंड राज्य (उपरोक्त) के वाद में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिस निर्णय पर भरोसा किया गया है, वह तथ्यात्मक भिन्नता के कारण वर्तमान वाद के तथ्यों पर लागू नहीं होता है। इस आपत्ति के संबंध में कि, एससी/एसटी अधिनियम में 2016 के संशोधन के पश्चात, न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास संज्ञान लेने की अधिकारिता का अभाव था, न्यायालय को इस अभिवेदन में कोई गुण-दोष नहीं मिलता है। भले ही यह मान लिया जाए कि प्रकरण विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के बावजूद मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया, ऐसा कृत्य धारा 460(ई) द.प्र.सं. के अंतर्गत एक सुधार योग्य अनियमितता का गठन करता है और कार्यवाहियों को दूषित नहीं करता है।

6. धारा 460(e) द.प्र.सं. प्रावधान करती है कि:-

"460. वे अनियमितताएं जो कार्यवाहियों को दूषित नहीं करती हैं:- यदि कोई मजिस्ट्रेट जो निम्नलिखित में से कोई भी कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त नहीं है, अर्थात्:-

(ई) धारा 190 की उप-धारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के अंतर्गत किसी अपराध का संज्ञान लेना;

सद्भावपूर्वक गलती से वह कार्य करता है, तो उसकी कार्यवाहियों को केवल इस आधार पर अपास्त नहीं किया जाएगा कि वह इस प्रकार सशक्त नहीं था।"

7. ऊपर दर्ज किए गए कारणों से, यह न्यायालय पाता है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत अभियुक्त-अपीलार्थी को सही ढंग से तलब किया है। आक्षेपित आदेश

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



सुविचारित है और अपीलीय क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप को न्यायोचित ठहराने वाली किसी भी अवैधता या दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है।

8. गुण-दोष से रहित होने के कारण, वर्तमान अपील **खारिज** की जाती है।

9. रजिस्ट्रार (अनुपालन) को निर्देश दिया जाता है कि वे एक सप्ताह के भीतर संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से संबंधित न्यायालय को फैक्स/ई-मेल द्वारा इस आदेश की एक प्रति तामील कराएं।

(न्यायमूर्ति संतोष राय)

7 अगस्त, 2026

आर.ए.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”